हिदायत खां बनाम भंवरू खां आदि
2019/12
निर्णय दिनांकः—04.05.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः— 21.05.2019

प्रार्थना पत्र सं.:— 2019/12

1. हिदायत खां पुत्र कुरडे खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. वार्ड नं. 8 आगुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

................प्रार्थी

बनाम

1. भंवरू खां पुत्र यासीन खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 8 आयुणा मोहल्ला चूरू तहसील व जिला चूरू (राज०)
2. इनायत पुत्र यासीन जाति कायमखानी निवासी हनीफ धर्मकांटा के पास, सेठानी जोहड़े के पास, रतनगढ़ रोड़ चूरू तहसील व जिला चूरू (राज०)
3. अल्लादीन पुत्र यासीन जाति कायमखानी निवासी हनीफ धर्मकांटा के पास, सेठानी जोहड़े के पास, रतनगढ़ रोड़ चूरू तहसील व जिला चूरू (राज०)
4. इस्माईल खां पुत्र यासीन जाति कायमखानी निवासी हनीफ धर्मकांटा के पास, सेठानी जोहड़े के पास, रतनगढ़ रोड़ चूरू तहसील व जिला चूरू (राज०)
5. रमजान खां पुत्र यासीन जाति कायमखानी निवासी हनीफ धर्मकांटा के पास, सेठानी जोहड़े के पास, रतनगढ़ रोड़ चूरू तहसील व जिला चूरू (राज०)
6. मोहिदीन खां पुत्र यासीन जाति कायमखानी निवासी हनीफ धर्मकांटा के पास, सेठानी जोहड़े के पास, रतनगढ़ रोड़ चूरू तहसील व जिला चूरू (राज०)
7. मोहनराम पुत्र खम्भाराम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. (फोत) हीराराम पुत्र खम्भाराम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
   8/1 जगदीश प्रसाद
   8/2 राकेश कुमार पुत्रगण हीराराम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक ... शाखा चूरू
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:23 IST
Reason: SelfAttested

................अप्रार्थीगण

11. सुल्तान खान पुत्र आलम खान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
12. इमरान खान पुत्र आलम खान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आधुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
13. अरशद खान पुत्र आलम खान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. ० आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
14. आबिद खान पुत्र आलम खान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
15. लतीफ खान पुत्र आलम खान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
16. रुकसाना बानो पुत्री आलम खान जाति कायमखानी निवासीनी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
17. रफीक पुत्र नवाब अली खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
18. तौफिक पुत्र नबाब अली खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
19. नयूम पुत्र नबाब अली खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
20. तयूब पुत्र नबाब अली खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
21. नसीम बानो पुत्री नबाब अली खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
22. निसार पुत्र वजीर खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
23. जावेद पुत्र वजीर खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
24. शबीना बानो पत्नी वजीर खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आथुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
25. भंवरू खां पुत्र हाकम अली जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
26. मुबारिक पुत्र हाकम अली जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)
27. युनुस पुत्र हाकम अली जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 08 आयुणा मोहल्ला तेलियों की बाड़ी के पास, चूरू (राज०)

................गौण अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:23 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:– श्री शिवगौतम सोलंकी
अप्रार्थी सं. 1 ता 5:– श्री अब्दुल गफार
अप्रार्थी सं. 7:–श्री सुरेन्द्र जाखड़
अप्रार्थी सं. 11 ता 27:–श्री संदीप वर्मा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 04.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी हिदायत खां ने खसरा संख्या 253, रकबा 11.7612 हैक्टेयर, स्थित रोही ग्राम खारिया के सम्बन्ध में यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि उसकी एवं गौण अप्रार्थीगण (सं. 11 से 27) की पैतृक एवं दादालाई खातेदारी की भूमि है । प्रार्थी का आरोप है कि मुख्य अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 ने दक्षिणी–पूर्वी सींव तथा अप्रार्थी संख्या 07 व 08 (मोहनराम व हीराराम) ने पश्चिमी सींव को काटकर नई सींव कायम करने का प्रयास किया है, जिससे खेत की सीमाएं जर्जर व अस्पष्ट हो गई हैं । अतः भविष्य के विवादों से बचने हेतु प्रार्थी पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाने का अनुतोष चाहता है ।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 8/1 व 8/2 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल गफार खां ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र जाखड़ ने वकालतनामा पेश किया। गौण अप्रार्थी संख्या 11 ता 27 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 10 भूमिधारी है।
3. प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए। इसके बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही जवाब हेतु कोई तर्कसंगत आधार पेश किया गया। अतः न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब को रोकने हेतु अप्रार्थीगण का जवाब देने का अवसर बन्द किया गया तथा पत्रावली बहस प्रार्थीगण हेतु नियत की गई।
   - प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी हिदायत खां एवं गौण अप्रार्थीगण (संख्या 11 से 27) खसरा संख्या 253, रकबा 11.7612 हैक्टेयर, स्थित रोही ग्राम खारिया के विधिक खातेदार हैं । यह भूमि प्रार्थी परिवार की पैतृक एवं दादालाई कृषि भूमि है, जिस पर उनका निर्बाध कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त भूमि की सीमाएं मौके पर विद्यमान थीं, किन्तु मुख्य अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 ने दक्षिणी–पूर्वी सीमा तथा अप्रार्थी संख्या 07 व 08 ने पश्चिमी सीमा को काटकर उसे छि[illegible]गण द्वारा सीमा चिन्हों को नष्ट करने के कारण वर्तमान में खेत [illegible] जर्जर, क्षीण एवं अस्पष्ट स्थिति में हैं । इस कारण प्रार्थी [illegible] लेकर हर समय गम्भीर विवाद की स्थिति बनी [illegible]ढ़ी एवं सीमाज्ञान हेतु निर्धारित सरकारी शुल्क एवं समस्त व्यय वहन करने [illegible] लिए पूर्णतः तैयार है। अतः प्रार्थी के पक्ष में पत्थरगढ़ी का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:23 IST
Reason: SelfAttested

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. आज यह प्रार्थना—पत्र धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीमा—ज्ञान (सीमांकन) एवं पत्थरगढ़ी के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 253 रोही मौजा रिबिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टी पांथासर, भू. [illegible] पांथासर का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की भूमि के [illegible] में अप्रार्थी सं. 2 तथा पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 का [illegible] प्रार्थी की सीमाओं (सींवों) के साथ छेड़छाड़ करते हैं और सीमाचिन्ह नष्ट कर प्रार्थी की कृषि भूमि में घुसने की चेष्टा करते हैं । पक्षकारों के मध्य आए दिन होने [illegible] इस झगड़े और सीमा विवाद के स्थाई निराकरण हेतु राजस्व रिकॉर्ड व पुरानी निशानदेही के अनुसार चारों ओर पुख्ता पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:23 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि की सीमा निश्चित करवाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2071–74 से उसका उक्त खसरा हक व हिस्सा प्रमाणित है।

8. प्रार्थी का कथन है कि सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पैमाइश करवाना ही विवाद के स्थाई समाधान का एकमात्र विकल्प है। चूंकि सीमाज्ञान राजस्व प्रक्रिया है न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

9. न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की विधिक पोषणीयता का स्वयं परीक्षण करे। सीमाज्ञान एक ऐसी कार्यवाही है जिसमें प्रभावित खसरा नम्बर से जुड़ी तमाम सीमाओं के सभी पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य है। प्रार्थी ने केवल कुछ ही पड़ोसियों को पक्षकार बनाया है। विधिक नजीर के अनुसार, यदि एक भी प्रभावित पड़ोसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तो सीमाज्ञान की कार्यवाही सही नहीं मानी जाती है। मात्र अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति प्रार्थी को एक त्रुटिपूर्ण प्रार्थना–पत्र पर आदेश प्राप्त करने का अधिकार नहीं देती। सभी आवश्यक पड़ोसियों को सुने बिना पत्थरगढ़ी का आदेश पारित करना भविष्य में अनावश्यक मुकदमेबाजी और कानून–व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अतः उपरोक्त विधिक विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता हैः–

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम आवश्यक पक्षकारों को संयोजित न करने की विधिक त्रुटि के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी को यह राहत दी प्रदान की जाती है कि वह समस्त प्रभावित पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए नियमानुसार नवीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 04.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायालय से खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:23 IST
Reason: SelfAttested